न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, आगरा।
सत्र वाद संख्या 82/2026

राज्य बनाम गिरीश कटारा आदि

मु0अ0सं0 228/2025
धारा 140(2), 127(2), 351(2), 61(2)
बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम
थाना किरावली, आगरा।

दिनांक 06.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकार पर अभियुक्तगण गिरीश कटारा, अभिषेक गुप्ता, मानवेन्द्र सिंह व विपुल शर्मा न्यायालय के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विगत तिथि 21.04.2026 को पत्रावली अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु आज दिनांक 06.06.2026 के लिए नियत की गयी थी, इसी मध्य दिनांक 29.05.2026 को प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा श्रीमती पूजा द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा वादिनी मुकदमा एवं अभियुक्तगण के मध्य हुए सुलहनामा प्रपत्र के साथ दाखिल किया गया जिस प्रार्थना पत्र में यह कथन किए गए हैं कि प्रार्थिया/वादिया मुकदमा का अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, अतः राजीनामा के आधार पर प्रस्तुत अभियोग को समाप्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रस्तुत अभियोग में थाना किरावली, जिला आगरा की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियोग में धारा 140(2), 127(2), 351(2), 61(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। उक्त धाराओं में से कुछ धाराएं शमनीय प्रकृति की नहीं है और उनमें सुलहनामा के आधार पर अपराध का शमन नहीं किया जा सकता है।

5. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत अभियोग को सुलहनामा के आधार पर शमन किया जाना सम्भव नहीं है एवं प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है, तद्नुसार निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा श्रीमती पूजा द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह के आधार पर वाद को समाप्त किए जाने हेत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.05.2026 निरस्त किया जाता है। पत्रालवी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु दिनांक 26.06.2026 को पेश हो। उक्त तिथि पर अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हों।

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03
आगरा।

Digitally signed by Vikas Goyal
Date: 2026.06.06 12:00:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court